

खनन अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

1. प्रार्थी का नाम : . पिता का नाम :
निवासी :
2. खनन हेतु प्रस्तावित भूमि : ग्राम का नाम : पटवार मंडल
तहसील : खसरा :
किस्म : कुल :
3. खनन विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की जाये।
4. चारागाह भूमि हो तो ग्राम पंचायत/संस्थ का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
5. यदि प्रस्तावित भूमि जे.डी.ए./नगर निगम क्षेत्र में हो तो सम्बन्धित संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र करना होगा।
6. यदि प्रस्तावित/स्वीकृति क्षेत्र के पास लगती हुई भूमि निजी खातेदारी की है तो उक्त खातेदार से स्वयं को सहमति प्राप्त करनी होगी।

हस्ताक्षर प्रार्थी

रिपोर्ट तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी -

प्रभारी अधिकारी (राजस्व) की टिप्पणी -
तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर खनन अनापत्ति दिया जाना उचित है/नहीं है।

जिला कलक्टर